

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 828

दिनांक 08/12/2021

-:आदेश:-

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार पलामा के आधार पर ग्राहक अलोक के
खारा सेखा 348, 459, 163 में खालीदार लालचन्द्र पुत्र
साधु के स्थान पर लालराम पुत्र साधुराम दर्ज करके
आदेश - जिसे धार में निम्न में न्यायालय का स्थान
आदेश न हो ता दर्ज करे।

तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-
दरामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

उपखण्ड अधिकारी-दांतारामगढ़

जिला-सीकर(राजस्थान)

राजेश कुमार शीखा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर